तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8-6-18	श्रीमती ... उपस्थित/अनुपस्थित नहीं होने का कारण ... पत्रावली दिनांक 15-6-18 ... पक्ष हो उपखण्ड अधिकारी (...)
8-6-18	पत्रावली नैमित्तिक कोर्ट में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 गोकुलदास तथा वकील उपस्थित नहीं है। इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। बहसपक्ष वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य व सुविधा का संतुलन एवं अपरिहार्य क्षति प्रार्थी के पक्ष में गत प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 22.12.17 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को नियमानुसार स्थायी (Confirm) किया जाता है। पत्रावली के साथ पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी जाए। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner